न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - डॉ. कृति भ्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -64/2023

अनवान

काना पुत्र काशीराम, जाति धाकड़, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी प्रतापपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पिता गोटू, जाति प्रजापत, आयु बालिग, पेशा काश्त, निवासी प्रतापपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2 (1)मांगी बाई पत्नी कंवरलाल, जाति भील, आयु बालिग, निवासी प्रतापपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2 (2)गणेश पुत्र कंवरलाल, जाति भील, आयु बालिग, निवासी प्रतापपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2 (3)भगवान लाल पुत्र कंवरलाल, जाति भील, आयु बालिग, निवासी प्रतापपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान।
4. जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. कजोड पिता घीसालाल धाकड़ निवासी प्रतापपुरा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

-अप्रार्थीगण/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह अभिभाषक प्रार्थी।
अप्रार्थी संख्या 02 (1),(2),(3) स्वयं उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
श्री आजाद हुसैन अभिभाषक संख्या

निर्णय दिनांक 27.04.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम तम्बोलिया, प0ह0 तम्बोलिया, भू.अ.नि. क्षेत्र बोराव की खाता संख्या 29, खसरा संख्या 31, रकबा 0.8600 हेक्टर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, उक्त भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता ग्राम तम्बोलिया की आराजी संख्या 32 गे.मु. रास्ता से होकर ग्राम प्रतापपुरा की आराजी संख्या 34 में होता हुआ अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम प्रतापपुरा की आराजी संख्या 36 में होता हुआ ग्राम प्रतापपुरा की आराजी संख्या 28 जो चारागाह चरनोट में से होता हुआ आराजी संख्या 27 अप्रार्थी संख्या 2 किशना के खातेदारी की कृषि भूमि से होता हुआ आराजी संख्या 24 चारागाह चरनोट में होता हुआ मूल रास्ता आराजी संख्या 93 से जुड़ता है, उक्त रास्ता कदीमी समय से बना हुआ है तथा उसका उपयोग उपभोग प्रार्थी करता चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 देवीलाल द्वारा ग्राम तम्बोलिया की आराजी संख्या 32 गे.मु. रास्ता पर अवैध अतिक्रमण कर बंद कर दिया है तथा ग्राम प्रतापपुरा की आराजी संख्या 34 बिलानाम सरकारी भूमि पर भी रास्ता बंद कर दिया है तथा स्वयं अप्रार्थी द्वारा अपने खाते की आराजी संख्या 36 पर भी रास्ता बंद कर दिया है जबकि आराजी संख्या 36 तक रास्ता चालू है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मुझ प्रार्थी के खेत पर आने जाने के रास्ते के बीच की सरकारी भूमि व गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर दिया है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र रास्ता कायम कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि घटना दिनांक 14.06.2023 की है, मैं प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमियों की हंकाई-जुताई करने गया तो वहां जाकर देखा कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कदीमी समय पुराने रास्ते की हंकाई कर कच्चे पत्थरों की दीवार बनाकर रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे मैं प्रार्थी अपने खेत पर नहीं जा पाया तथा इससे पूर्व भी मुझ प्रार्थी का खेत 2-3 वर्ष से पड़त पड़ा हुआ है जिससे मुझ प्रार्थी को काफी असुविधा हो रही है तथा मेरे बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की ग्राम तम्बोलिया की कृषि आराजीयात आराजी संख्या 31 पर आने जाने के लिए ग्राम तम्बोलिया की आराजी संख्या 34,36,28,27,24 की मेढ़ पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो रास्ता बंद कर दिया है, में रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कर नक्शे में तरमीम किया जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया (1) अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

01 से 05 के अनुसार मामले हाजा में कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की होना जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नही है, प्रार्थी का अप्रार्थी की जमीन के पड़ौस में या अप्रार्थी की जमीन में कभी भी रास्ता नहीं रहा है और प्रार्थी द्वारा बताई गई, आराजीयात मे से रास्ता देना संभव भी नही है। प्रार्थी के लिए अन्यत्र विकल्प खुले हुए है, प्रार्थी के बताये गये रास्ते से प्रार्थी का कभी आना जाना नहीं रहा है, अप्रार्थी ने कोई अतिक्रमण कर रास्ता बंद नही किया है, अप्रार्थी ने केवल अपने खाते की जमीन के अंदर जाने के लिए अपनी ही मेढ़ पर टाटी लगा रखी है, जो केवल फसल बुवाई के समय ट्रेक्टर लाने ले जाने के काम आती है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3, 4, 5 कानूनी है। प्रार्थी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 03 के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 के फौत होने से कायम मुकाम बनाए गए। अप्रार्थी संख्या 02 किशना जो कि फौत हुए, उनके वारिसान मे पुत्र कंवरलाल (फौत) हो गए उनके वारिसान अप्रार्थी संख्या 2 (1), (2), (3) को पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया, जो स्वयं उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में लिखे गये समस्त कथन स्वीकार होकर जवाब है कि हम अप्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात में रास्ता तरमीम हेतु जो प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाकर रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है, इसमें हम अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई उज्र व एतराज नहीं है तथा हमारी सहमती है।

प्रकरण रास्ता कायमी का होने से अप्रार्थी संख्या 04 पेरोकार सरकार द्वारा दिनांक 19.09.2024 को पत्र क्रमांक रीडर/जवाब/2024/712, दिनांक 09.09.2024 से मौका रिपोर्ट व जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौका पर्चा रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक की उपस्थिति में तैयार की गई। मुताबिक राजस्व रिकर्ड अनुसार ग्राम तम्बोलिया प0ह0 तम्बोलिया की आराजी संख्या 31 रकबा 0.86है0 भूमि काना पिता काशीराम धाकड़ के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी संख्या 31 पर आने जाने के लिए रास्ता दर्ज नहीं है। रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 तम्बोलिया की आराजी संख्या 23 रकबा 0.32है0 भूमि शंकरलाल पिता भंवरलाल धाकड निवासी प्रतापपुरा खातेदार तथा आराजी संख्या 24 रकबा 5.70है0, आराजी संख्या 25 रकबा 0.55है0 भूमि चारागाह हेतु दर्ज रिकार्ड है। आराजी संख्या 27 रकबा 2.16है0 भूमि किशना पिता भूरा भील एवं आराजी संख्या 28 रकबा 1.32है0 भूमि देवीलाल पिता गोटू प्रजापत के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी संख्या 34 रकबा 0.80है0 भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात में से रास्ता चाहा गया है। ग्राम प्रतापपुरा के आराजी संख्या 23, 24, 25, 27, 28 में मौके पर रास्ता चालू है जो कि राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दूरी का रास्ता ग्राम प्रतापपुरा के आराजी संख्या 12 रकबा 0.41है0 भूमि कजोड पिता घीसा धाकड के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी संख्या 33 रकबा 0.86है0 भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड है एवं मौके पर रास्ता चालू नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम तम्बोलिया के आराजी संख्या 24 रकबा 2.17है0 भूमि बिलानाम दर्ज रिकार्ड है तथा आराजी संख्या 23/676 रकबा 0.44है0 भूमि नीलम कुमार पिता देवीलाल धाकड निवासी प्रतापपुरा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। आराजी संख्या 23/678 रकबा 0.44है0 भूमि कन्हैयालाल पिता घीसालाल धाकड के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर मौके पर रास्ता चालू नहीं है। उक्त तीनों बिन्दुओं के आराजीयात में प्रस्तावित रास्ते मे कोई पक्का निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ते मे कोई कुआं/टयूबवेल दर्ज नहीं है। ग्राम तम्बोलिया के आराजी संख्या 32 जो कि बिलानाम रास्ता दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ते हेतु उपरोक्त तीनों रास्ते की आराजीयात की लम्बाई व चौडाई निम्नानुसार है:-

1. प्रस्तावित रास्ता संख्या 01

क्र.सं.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	कुल रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते का रकबा है0 में	वि0वि0
1	प्रतापपुरा	23	0.32	चाही-4	0.02	खातेदार
2.	प्रतापपुरा	24	5.70	बंजड	0.02	चारागाह
3.	प्रतापपुरा	25	0.55	चही-4	0.05	चारागाह
4.	प्रतापपुरा	27	2.16	बारानी-2	0.04	खातेदार
5.	प्रतापपुरा	28	1.32	बीड़	0.08	चारागाह
5.	प्रतापपुरा	36	1.06	चाही-4	0.05	खातेदार
6.	प्रतापपुरा	34	0.80	चही-4	0.04	बिलानाम

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

	कुल योग		11.91		0.30	

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते (ग्राम प्रतापपुरा) में कुल 0.30है0 या 3000 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 2,93,717 रू प्रति है0 अथवा 29.37 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 3000 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 3000X29.37= 88110 रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी जमा कराना होगा।

2.प्रस्तावित रास्ता संख्या 02

क्र. सं.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	कुल रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते का रकबा है0 में	वि0वि0
1	प्रतापपुरा	12	0.41	चाही-4	0.04	खातेदार
2.	प्रतापपुरा	33	0.86	बंजड	0.07	बिलानाम
	कुल		1.27		0.11	

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते (ग्राम प्रतापपुरा) में कुल 0.11है0 या 1100 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 2,93,717 रू प्रति है0 अथवा 29.37 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 1100 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 1100X29.37= 32307/- रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी जमा कराना होगा।

3. प्रस्तावित रास्ता संख्या 03

क्र. सं.	ग्राम का नाम	आराजी संख्या	कुल रकबा	किस्म	प्रस्तावित रास्ते का रकबा है0 में	वि0वि0
1	तम्बोलिया	24	2.17	बारानी-1	0.07	बिलानाम
2.	तम्बोलिया	23/676	0.44	बारानी-1	0.01	खातेदार
3.	तम्बोलिया	23/678	0.44	बारानी-1	0.03	खातेदार
	कुल		3.05		0.11	

इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते (ग्राम तम्बोलिया) में कुल 0.11है0 या 1100 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 2,83,784 रू प्रति है0 अथवा 28.37 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 1100 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 1100X28.37= 31216.24/- रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी जमा कराना होगा।

तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आराजी संख्या 12 व 33 में सबसे न्यूनतम दूरी व सस्ता, सुलभ रास्ता होना जाहिर किया गया जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 का पेश किया तथा आराजी संख्या 12 के खातेदार कजोड का आवश्यक पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया जिस पर दिनांक 25.09.2024 को ही स्वीकार कर संशोधित टाईटल पेश करने का आदेश प्रदान किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित टाईटल मय नोटिस प्रोसेस प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण सं. 2 (1), (2), (3) द्वारा दिनांक 01.04.2026 को न्यायालय में उपस्थित हो निवेदन किया है कि प्रार्थी काना के खेत का रास्ता कजोड के खेत से होकर निकलता है तथा सबसे छोटा रास्ता भी वहीं है किन्तु काना ने हमारे खाते की भूमि से रास्ता मांगा है जो लम्बा होकर अधिक दुरी का है। अतः प्रार्थी को न्यूनतम दूरी का रास्ता तरमीम करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है, जो कि कजोड के खातेदारी भूमि से होकर जाता है। अप्रार्थी संख्या 05 के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। हमने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा आराजी संख्या 31 कृषि भूमि पर कदीमी समय से आने जाने के लिए आराजी संख्या 23,24,25,27,28,34,36 से होते हुए रास्ता बना हुआ है जो रिकार्डेड नहीं है, उक्त रास्ता मुल रास्ते आराजी संख्या 96 से होकर एक आम रास्ता विपक्षीगण की भूमि से रास्ता होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि तक आता है, लेकिन उक्त रास्ता आस पड़ौस वाले विपक्षीगण ने अवैध अतिक्रमण कर बंद कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी अपने खातेदारी काश्त की आराजी पर आ जा नहीं पा रहे हैं, उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है, तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, रास्ते को तरमीम करने का निवेदन किया है इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में कुल 03 रास्ते नक्शें अनुसार प्रस्तावित किए है। रास्ते

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

हेतु आराजी संख्या 23,24,25,27,28,34,36 मे प्रस्तावित रास्ते में आराजी संख्या 24,25,28 किस्म चारागाह दर्ज रिकार्ड होकर प्रतिबंधित श्रेणी के अन्तर्गत आती है। रास्ते हेतु आराजी संख्या 24, 23/676, 23/678 जो अन्य ग्राम तम्बोलिया से होकर प्रार्थी की आराजी तक पहुंचता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी संख्या 12, 33 रिपोर्ट अनुसार न्यूनतम दूरी का होना अवगत कराया है। अतः आराजी संख्या 12, 33 में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता जो न्यूनतम दूरी का आराजी संख्या 12, 33 का होने से प्रस्ताव स्वीकार कर विपक्षीगण 5 की आराजी संख्या 12 के मेड के सहारे सहारे होकर आराजी संख्या 33 जो बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड से होता हुआ आराजी संख्या 32 में मिलता है जो किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड है। इस रास्ते में आराजी संख्या 12, 33 (1100 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी। प्रार्थी को ग्राम प्रतापपुरा की आराजी संख्या 12, 33 मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 1100 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 2,93,717/ रू. प्रति है0 से 1100X29.37=32307 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 64614/- रू बनती है।

जरी रास्ता मौका प्रतापपुरा पटवार तम्बोलिया तह० रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

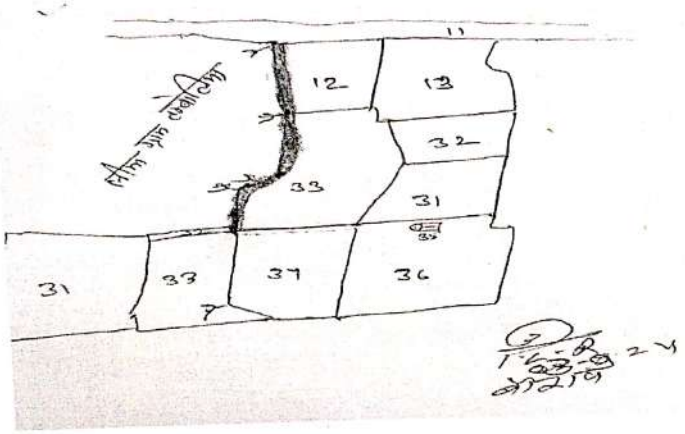

न्यायालय ने अधिवक्ता उभय पक्ष व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु कोई समुचित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आराजी संख्या 12, 33 में से प्रस्तावित मार्ग न्यूनतम दूरी का एवं व्यवहारिक मार्ग पाया गया। राजस्थान काष्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 251 क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकार) नियम 68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तो के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है । इस हेतु उक्त राजस्थान काष्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्व शर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

- प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
- खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवष्यकता।
- लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व अधिकारियों की मौका रिपोर्ट से प्रार्थी की आवश्यकता वास्तविक एवं न्यायसंगत तथा चाहा गया अनुतोष धारा 251–क राजस्थान काष्तकारी अधिनियम के अंतर्गत देय होना प्रमाणित होता है। अतः समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

-:आदेश:-

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का तम्बोलिया की आराजी संख्या 31 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 5 की आराजी संख्या 12 के मेर के सहारे-सहारे व बिलानाम आराजी संख्या 33 के सहारे सहारे कुल 1100 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 1100 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 2,93,717/रू. अनुसार कीमत

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

32307 रू की दुगुनी दर से राशि 64614/रू. (अक्षरे रूपय चौसठ हजार छः सौ चौदह रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 5 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 400 वर्गमीटर राशि का भूगतान विपक्षी संख्या 05 कजोड पिता घीसालाल धाकड को व आराजी संख्या 33 बिलानाम में काम आने वाली भूमि 700 वर्गमीटर की राशि राजकोष मे जमा किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 5 व 4 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(डॉ. कृति व्यास) आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला-चितौडगढ़

Scanned with OKEN Scanner